



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 304 राँची, मंगलवार,

8 जुलाई, 2025 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

25 जनवरी, 2024

सं. सं.: वित्त-36/वित्तीय नियंत्रण- 3002/2023.....

विषय: लैपटॉप/टैबलेट की सुविधा के संबंध में

झारखण्ड राज्य में e-governance के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक है कि राज्य के पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट उपलब्ध कराया जाय।

2. भारत सरकार के OM: F.No. 03(20)/2022-E. II(A), दिनांक 21.07.2023 द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई है। बिहार सरकार के द्वारा पत्रांक वि. प्र.सु.मि.सो./योजना-02/2012 (खण्ड) सो. 293, दिनांक 10.04.2015 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार में पदस्थापित बिहार संवर्ग केस भी पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट सुविधा दी गयी है।

3. सम्यक्विचारोपरांत झारखण्ड राज्य में भी e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न पदाधिकारियों को निम्न रूप से लैपटॉप/टैबलेट की सुविधा दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है: -

- (i) लैपटॉप/टैबलेट (दोनों में से कोई एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के सभी पदाधिकारी को अनुमान्य होगी।
- (ii) लैपटॉप/टैबलेट (दोनों में से कोई एक) आवश्यक Software एवं Accessories के साथ क्रय के लिए अधिकतम ₹0 1,00,000/- + Taxes मात्र अनुमान्य होगी। यद्यपि वैसे उपकरण जिनमें Make in India Components की मौजूदगी 40 प्रतिशत से अधिक होगी, उन लैपटॉप/टैबलेट के क्रय के लिए अधिकतम ₹. 1,30,000/- + Taxes की अधिसीमा अनुमान्य होगी।
- (iii) लैपटॉप/टैबलेट का क्रय झारखण्ड वित्त नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। संबंधित विभाग क्रय की कार्रवाई करेंगे।
- (iv) लैपटॉप/टैबलेट के क्रय की तिथि से 04 वर्ष के लिये संबंधित उपकरण सरकारी सम्पत्ति होगी। 04 वर्ष के दौरान उपकरण की सुरक्षा एवं डाटा की गोपनियता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।
- (v) 04 वर्ष के दौरान लैपटॉप/टैबलेट के मरम्मति इत्यादि पर भारित व्यय का वहन संबंधित विभाग के द्वारा किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी क्रय किये गये उपकरण का बीमा अपने खर्च पर कर सकेगा। विभाग के स्तर से बीमा के लिए राशि अनुमान्य नहीं होगी।
- (vi) प्रति वर्ष 25% की दर से लैपटॉप/टैबलेट के मूल राशि/अनुमान्य राशि के आधार पर Depreciation Value परिगणित किया जायेगा।

उदाहरणत:- ₹. 1,00,000/- (अनुमान्य कर सहित) की राशि के आधार पर Depreciation Value की गणना की प्रक्रिया-

Percentage of Depreciation= $100/48 \times$ (लैपटॉप/टैबलेट क्रय की तिथि से महीनों की संख्या)

उपकरण क्रय की तिथि	सेवानिवृत्त तिथि/सेवा से त्याग की तिथि	महीनों की संख्या	Depreciation	उपकरण का मूल्यांकन (राशि जो कर्मी से प्राप्त होगी।)
20.04.2023	30.04.2024	12 माह	25%	मूल राशि का 75%
20.04.2023	20.10.2024	18 माह	37.5%	मूल राशि का 62.55%
20.04.2023	30.04.2025	24 माह	50%	मूल राशि का 50%
20.04.2023	19.03.2026	34 माह	70.83%	मूल राशि का 29.17%

(vii) लैपटॉप/टैबलेट के क्रय के उपरांत 04 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित पदाधिकारी लैपटॉप/टैबलेट Retain कर सकेंगे। संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि उपकरण दिये जाने के पूर्व सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण डाटा उपकरण से हटा दिये गये हैं।

(viii) किसी भी पदाधिकारी को लैपटॉप/टैबलेट उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अगले 04 वर्षों तक उस पदाधिकारी कोई नया लैपटॉप/टैबलेट आवंटित नहीं किया जायेगा। 04 वर्षों के अंतर्गत संबंधित उपकरण के मरम्मति में यदि "Beyond economical repairs" की स्थिति बनती हो तो संबंधित पदाधिकारी बिना कोई भुगतान किये उपकरण Retain कर सकेगा एवं आवश्यकता के आधार पर उसे नया उपकरण आवंटित किया

जा सकेगा। इस हेतु OEM अथवा प्राधिकृत सर्विस सेन्टर अथवा AMC एजेंसी से BER (Beyond economical repairs) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।

(ix) संबंधित पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 04 वर्ष से कम की अवधि शेष हो अथवा जिन्होंने 04 वर्ष के अंतराल में अपनी सेवा का परित्याग किया हो, वे अपनी सेवानिवृत्ति/सेवा परित्याग तिथि को कंडिका-3 (vi) में अंकित प्रक्रिया के आधार पर लैपटॉप/टैबलेट का मूल्यांकन कर अपेक्षित राशि का भुगतान करते हुए लैपटॉप/टैबलेट को Retain कर सकेंगे।

(x) झारखण्ड सरकार के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारी का स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में पदाधिकारी आवंटित लैपटॉप/टैबलेट का उपयोग करते रह सकेंगे। उक्त का अंकन संबंधित पदाधिकारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3469/वि. दिनांक 15.12.2023 के क्रम में दिनांक 09.01.2024 की बैठक के मद सं. 11 में दी गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव ।
